



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221483
CG-DL-E-01092020-221483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2624]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942

No. 2624]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

का.आ. 2955(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कोलासिब डिस्ट्रिक्ट हक (NH6) के कि.मी. 138.55 से कि.मी. 141, ऐज़ौल डिस्ट्रिक्ट मिजोरम (NH6) के कि.मी. 141 से कि.मी. 159 मिजोरम राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मिजोरम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH6 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH6 के कि.मी. 138.55 से 141 तक	मिजोरम	कोलासिब	'न' थिन्दावल	1 मुअलखंग

2	एडिशनल डेप्युटी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH6 के कि.मी. 141 से 159 तक	मिजोरम	ऐज़ौल	तलंगनुयम तहसील	<table><tr><td>1</td><td>लेंगपुई</td></tr><tr><td>2</td><td>सिंहमुई</td></tr><tr><td>3</td><td>साईरांग</td></tr><tr><td>4</td><td>साईरांग दिनथर</td></tr><tr><td>5</td><td>सीहपफिरतलाना</td></tr></table>	1	लेंगपुई	2	सिंहमुई	3	साईरांग	4	साईरांग दिनथर	5	सीहपफिरतलाना
1	लेंगपुई															
2	सिंहमुई															
3	साईरांग															
4	साईरांग दिनथर															
5	सीहपफिरतलाना															

[फा. सं. NHIDCL/PMU Seling/NH-6&306/VS-LA/6]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2020

S.O. 2955(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from KM 138.55 to KM 141 of Kolasib District (NH6) , KM 141 to KM 159 of Aizawl District, Mizoram (NH6) in the State of MIZORAM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MIZORAM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH6 in the State of MIZORAM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Deputy Commissioner	138.55KM To 141KM	MIZORAM	KOLASIB	N Thingdawl	1 Mualkhang
2	Additional Deputy Commissioner	141KM To 159KM	MIZORAM	AIZAWL	Tlangnuam Tehsil	1 Lengpui 2 Sinhmui 3 Sairang 4 Sairang Dinthar 5 Sihphirtlang

[F. No. NHIDCL/PMU Seling/NH-6&306/VS-LA/6]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.